**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 1244**
**दिनांक 09 फरवरी 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**एनआरएचएम के अंतर्गत कार्यक्रमों की समीक्षा**

**1244: डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने वाले सभी लोगों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रमों में संशोधन करने की कोई योजना है;
(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरएचएम योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किन्हीं नई योजनाओं पर विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान केरल राज्य में एनआरएचएम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनके चयन की प्रक्रिया क्या है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)**

(क) से (घ): विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी चुनौतियों का निराकरण करने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) शुरू किया गया था ताकि जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले सभी व्यक्तियों को सुलभ, वहनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को संपूरित किया जा सके।
वर्ष 2017 में बनायी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में संवर्धित पहुंच, स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी की लागत को कम करके संवर्धित वहनियता और इक्विटी के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यनीति में,सभी विकासात्मक कार्यनीतियों में निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या उन्मुखीकरण के माध्यम से, सभी आयु वर्ग के सभी लोगो के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के उच्चतम संभव स्तर प्राप्त करने तथा इसके परिणामस्वरूप बिना किसी वित्तीय कठिनाई के अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने चार मिशन मोड परियोजनाएं, अर्थात् पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर तत्कालीन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्लूसीज), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) शुरू की हैं।

पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता विकसित करने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने तथा नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और उपचार

के लिए नए संस्थान स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2025-26 तक इस योजना का परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये का है।

1.64 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तारित श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5.00 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसरंचना के लिए सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक आधार विकसित करना है। यह डिजिटल हाईवेज राजमार्गों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को दूर करेगा। दिनांक 08.02.2024 तक 55 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) बनाए गए हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरएचएम स्कीमों के अंतर्गत आबंटित और जारी कुल निधियां का व्यौरा अनुलग्नक में संलग्न है।

(ङ) केरल सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल में विभिन्न एनआरएचएम योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और/अथवा साक्षात्कार है। कर्मचारियों की जिला वार स्थिति नीचे दी गई है:

| **जिले का नाम** | **मार्च, 2023 तक कर्मचारियों की संख्या** |
|---|---|
| तिरुवनंतपुरम (टीवीएम) | 1386 |
| कोल्लम (केएलएम) | 899 |
| पथानामथिट्टा (पीटीए) | 647 |
| अलाप्पुझा (एएलपी) | 732 |
| कोट्टायम (केटीएम) | 735 |
| इडुक्की (आईडीके) | 638 |
| एर्नाकुलम (ईकेएम) | 1111 |
| त्रिशूर (टीएसआर) | 1037 |
| पलक्कड़ (पीकेडी) | 974 |
| मलप्पुरम (एमएलपीएम) | 1271 |
| कोझिकोड (केकेडी) | 970 |
| वायनाड (डब्ल्यूवाईडी) | 620 |
| कन्नूर (केएनआर) | 859 |
| कासरगोड (केएसडी) | 535 |
| राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू)* | 108 |
| **कुल** | **12522** |

* एनएचएम के तहत विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए एनएचएम द्वारा नियोजित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) एक एजेंसी है।

**अनुलग्नक**

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एनआरएचएम के तहत आवंटित और जारी की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विवरण

करोड़ रूपए में

| क्र.सं | राज्य | 2022-23 | |
|---|---|---|---|
| | | आवंटन | जारी |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 45.95 | 45.26 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,182.93 | 1,489.45 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 272.48 | 233.82 |
| 4 | असम | 1,615.70 | 1,981.83 |
| 5 | बिहार | 1,853.57 | 1,586.57 |
| 6 | चंडीगढ़ | 31.73 | 38.09 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 949.94 | 1,195.08 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव | 51.18 | 58.28 |
| 9 | दिल्ली | 164.98 | 35.15 |
| 10 | गोवा | 38.13 | 55.42 |
| 11 | गुजरात | 1,059.03 | 1,120.06 |
| 12 | हरियाणा | 501.71 | 681.21 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 472.62 | 494.65 |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 659.02 | 651.52 |
| 15 | झारखंड | 853.19 | 810.30 |
| 16 | कर्नाटक | 1,129.18 | 1,246.67 |
| 17 | केरल | 746.63 | 1,036.76 |
| 18 | लक्षद्वीप | 10.55 | 9.97 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 2,056.81 | 2,582.10 |
| 20 | महाराष्ट्र | 2,006.38 | 2,187.13 |
| 21 | मणिपुर | 192.47 | 61.40 |
| 22 | मेघालय | 196.26 | 261.56 |
| 23 | मिजोरम | 132.58 | 111.82 |
| 24 | नागालैंड | 164.27 | 91.38 |
| 25 | ओडिशा | 1,163.82 | 1,284.69 |
| 26 | पुदुचेरी | 36.49 | 20.73 |
| 27 | पंजाब | 448.58 | 448.89 |
| 28 | राजस्थान | 1,867.04 | 1,460.80 |
| 29 | सिक्किम | 67.47 | 73.30 |
| 30 | तमिलनाडु | 1,373.29 | 1,652.24 |
| 31 | त्रिपुरा | 222.50 | 231.90 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 4,130.21 | 5,133.59 |
| 33 | उत्तराखंड | 491.17 | 505.01 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 1,439.37 | 1,252.32 |
| 35 | तेलंगाना | 767.82 | 683.77 |
| 36 | लद्दाख | 124.65 | 94.94 |

नोट:

1. आवंटन मूल परिव्यय/बजट प्राक्कलन के अनुसार है।
2. उपर्युक्त जारी धनराशियां केंद्र सरकार के अनुदानों से संबंधित हैं और इसमें राज्य के हिस्से का अंशदान शामिल नहीं है।

******